न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी-सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 7/2018

1 जीवणराम पुत्र भीवाराम।
2 शिशुपाल सिंह पुत्र भादरराम।
3 शीशराम पुत्र बलदेवाराम।
4 मेघसिंह पुत्र विधाधर समस्त जाति जाट निवासीगण भुदा का बास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 हरीश कुमार पुत्र भुराराम जाति जांगिड़ ।
2 श्रवण कुमार पुत्र हुक्माराम।
3 श्रीमती चन्द्रावली स्त्री सुलतानसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण भुदा का बास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2016 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मलसीसर मुकदमा उनवानी हरीश कुमार वगैरह बनाम राजस्थान सरकार मुकदमा नम्बर 49/2015 दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती एंव स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (केम्प झुन्झुनूँ)

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 12.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 49/2015 में पारित निर्णय दिनांक 22.07.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 से 3 ने अदालत मातहत के समक्ष एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि गत खसरा नम्बर 101 वाके ग्राम भुदा का बास तहसील मलसीसर में से दिनांक 01.06.1989 को आबादी विस्तार हेतु दो एकड़ भूमि जिसका रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा के बराबर होता है का आंवटन किया गया। उक्त आंवटन जमीन सचिव ग्राम पंचायत भुदा का बास को जारी पत्र क्रमांक 1125 दिनांक 10.08.1989 के मुताबिक गत नक्शाशीट में डबल डोटेड लाईन के उतर पूर्व में रास्ता से सटकर दर्शायी गई है। रेस्पोडेंट नम्बर 1 से 3 ने फिर दावा में अंकित किया कि उक्त आंवटित जमीन के पट्टे रेस्पोडेंट एवं अन्य ग्राम वासियान को जारी किये गये है तथा वे आबाद है फिर रेस्पोडेंट नम्बर 1 से 3 ने अदालत मातहत के समक्ष दावा में रिलिफ चाही की आवंटित जमीन के गत खसरा नम्बर 101/1 की जगह हाल नक्शा शीट में हाल खसरा नम्बर 151 दर्शित नहीं किये जो अंकित किया जावें। हाल खसरा नम्बर 151 ग्राम भुदा का बास की जगह अपीलांट एवं अन्य कदीमी पुख्ता मकान बनाकर रिहायश करते है तथा अपीलांट के हक में पट्टे जारी हुये है। अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेंट नम्बर 1 से 3 ने जानबुझकर बेईमानी से पक्षकार नहीं बनाया जबकि हाल खसरा नम्बर 151 की जगह की जमीन में अपीलांटस रिहायश करते है अगर हाल नक्शासीट में हाल खसरा नम्बर 151 परिवर्तित होता है तो अपीलांट प्रभावित होते है। इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 5

सत्यमेव जयते
सीकर

व धारा 96 के साथ प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.04.2018 को उभयपक्ष को सुनकर धारा 96 व धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया गया है।

बहस उभयपक्ष गुणावगुण पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि हाल खसरा नम्बर 151 गैर मुमकिन आबादी में हम मकान बनाकर आबाद है। गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि पर रेस्पोडेंट अतिक्रमी के रूप में काबिज है। इससे बचने के लिए हमे पक्षकार बनाये बिना विचारण न्यायालय से विचाराधीन आदेश प्राप्त किया है। रेस्पोडेंट के विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही हुई है, बेदखली का आदेश है। अत अपील स्वीकार कर प्रभावित पक्षकारों को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमाण्ड करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पर पंचायत को आबादी विस्तार हेतु आंवटित भूमि में से हमे आवासीय पट्टा दिया गया, जो 1999 में पंजिकृत करवाया गया राजस्व विभाग द्वारा गलत रूप से दुसरी जगह दर्शाया गया है। इस पर विचारण न्यायालय द्वारा भलीभांती परीक्षण कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचाराधीन निर्णय में अपीलांट के विरूद्व बेदखली का कोई आदेश नही है अपीलांट की अपील सारहीन है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे, जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 14.06.1989, मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी, अधिवक्ता की सर्च रिपोर्ट, पुराना तरमीम शुद्वा नक्शे का अवलोकन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचाराधीन निर्णय में विचारण न्यायालय ने आदेश दिये है कि नीवन खसरा नम्बर 151 तादादी 0.81 हैक्टेयर की तरमीम हाल खसरा नम्बर 166/210 रकबा 0.50 हैक्टेयर के उतर पूर्व में गत खसरा नम्बर 101/1 मीन के अनुसार दुरूस्त करने के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

आदेश दिये जाते है। हाल भूमि खसरा नम्बर 151 पर आबादी बसी हुई है। जिसे परिवर्तित करवाने के लिये तहसीलदार मलसीसर व ग्राम पंचायत भूदा का बास स्वतंत्र है। खसरा नम्बर 151 की तरमीम गत खसरा नम्बर 101/1 मीन के स्थान पर ग्राम पंचायत को भेजे गये नक्शा ट्रेस जरिये क्रमांक 1125 दिनांक 10.08.1998 के अनुसार किये जाने का आदेश दिये जाते है।

विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में नक्शे में तरमीम सम्बंधित आदेश दिये है अपीलांट के विरूद्व कोई आदेश पारित नही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस आदेश से किस प्रकार प्रभावित है, यह स्पष्ट करने में विफल रहा है। फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर